

कार्यालय:- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची।

कार्यालय आदेश संख्या - ५३

राँची-2, दिनांक-27/6/16

वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिसूचना सं०सं०-4/यो० बजट-42/2010-2371 व०प०, दिनांक 05.05.2015 द्वारा वृक्षारोपण एवं पौधशाला कार्य हेतु दर निर्धारण के लिए राज्य स्तर पर एक स्थाई समिति का गठन किया गया।

समिति द्वारा निर्धारित कार्य दरों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए मुख्यमंत्री जन वन विकास योजना अगले पुनरीक्षण तक लागू रहेगी।

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम : "मुख्यमंत्री जन वन विकास योजना"(निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन की योजना)

पौधों की संख्या प्रति एकड़ : 445 पौधे (काष्ठ प्रजातियों का वनरोपण)

160 पौधे (फलदार प्रजातियों का वनरोपण)

मजदूरी प्रति मानव दिवस (रु० में) : 221.61

फलदार प्रजाति हेतु स्पेसिंग 5 मी. X 5 मी. फलदार प्रजातियाँ-कलमी आम, कटहल, अमरुद, आँवला, बेल, लीची आदि

काष्ठ प्रजाति हेतु स्पेसिंग 3 मी. X 3 मी. एवं मेड के किनारे 2 मी० X 2 मी० काष्ठ प्रजातियाँ-शीसम, सागवान, गम्हार, महोगनी, क्लोनल, यूकोलिप्टस, एकासिया आदि

क्रम	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	प्रति पौधा व्यय (रु० में)	लाभुक को देय प्रोत्साहन राशि
1	2	3	4	6	5	7	8	9
क	प्रथम वर्ष (अग्रिम कार्य एवं समापन कार्य)							
1	मशीन द्वारा ट्रेंच खुदाई ड्रेसिंग सहित (जल संसाधन विभाग की अनुसूचित दर सूची दिनांक 01.04.2014 से लागू का आईटम सं० 7.1. 43.1 से 9.1 प्रतिशत संवेदक लाभ घटाकर दर)	प्रति चैन	2	374.86	1963.79	2338.65		एक पैच (patch) में 5 एकड़ या 5 एकड़ से अधिक जमीन होने पर ट्रेंच घेरान की अनुमति होगी। तथा 5 एकड़ के लिए अधिकतम 30 चैन या वास्तविक कार्य के आधार पर ही राशि देय होगी जिसका 50 प्रतिशत व्यय का अनुदान वन विभाग द्वारा किया जायेगा।

नोट :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची के कार्यालय आदेश संख्या 35 दिनांक 02.05.2016 द्वारा काष्ठ प्रजाति के पौधे एवं आदेश संख्या 24 दिनांक 25.04.2016 द्वारा कलमी प्रजाति के पौधे के वनरोपण कार्य दर में उपरोक्त कार्य दर को सम्मिलित किया जाता है।

ह०/-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
विकास, झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक—

दिनांक—

प्रतिलिपि—

1. प्रधान सचिव, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रांची
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जैव विविधता संरक्षक एवं मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, रांची
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक —सह— कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास पर्षद, झारखण्ड, रांची
5. सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
6. सभी मुख्य वन संरक्षक
7. सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक
8. सभी वन संरक्षक
9. सभी वन प्रमण्डल पदाधिकारी

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 /—

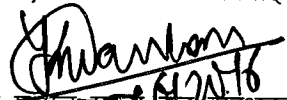
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
विकास, झारखण्ड, रांची

ज्ञापांक—877

दिनांक—27/6/16

प्रतिलिपि : इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु

प्रेषित।


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
विकास, झारखण्ड, रांची